خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی، لکھنؤ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विषय प्रभारी एवं समस्त शिक्षक।
2. प्राक्टर को इस आशय से प्रेषित है कि कक्षाओं में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में यथोचित व्यवस्था ससमय कर ले।
3. वेब मास्टर।
4. समस्त सूचना पट्ट (शैक्षिक व छात्रावास)।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलपति।

خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی، لکھنؤ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

संख्याः–762 / उअफाविवि / कुपका / 2017
दिनांकः 01 अगस्त, 2017

समस्त विषय प्रभारी / समस्त शिक्षक,
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

आवश्यक

महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी समान स्तर के नहीं होते हैं। श्रेष्ठ शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों में समान रूप से ज्ञान के विकास हेतु कार्य करने का लक्ष्य निहित होता है। इस विश्वविद्यालय में काफी संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय के समीपवर्ती ग्रामीण अंचलों से भी आते है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है।

2– उपरोक्त सभी बिन्दुओं एवं दिनांक 07.07.2017 को संकाय सदस्यों के साथ हुई बैठक के क्रम में निम्नानुसार व्यवस्थाएं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्धारित की जाती हैं:–

i. सम्बन्धित विषय अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की मैपिंग करके उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त कर, उनका विवरण अपने पास निम्नलिखित श्रेणी में रखे–
(क) अच्छा (ख) औसत (ग) औसत से नीचे

ii. औसत से नीचे के विद्यार्थियों को अच्छे विद्यार्थियों के साथ समूह बना दें ताकि वे आपसी समन्वय व विचार से अपनी समस्या को हल कर सकें तथा वे अपनी ऐसी समस्याओं को सम्बन्धित प्राध्यापक के सम्मुख रख सके, जो हल नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक द्वारा इस बात की देख–रेख अपने स्तर से की जाये।

iii. किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद से एक पीरियड विद्यार्थियों को आपस में Problem Solving के लिए दिया जाए तथा इसके विषय में विद्यार्थियों से Problem ज्ञात कर विषय अध्यापक उसका समाधान अगले पीरियड में कर दें।

iv. पी0जी0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी विषय अध्यापक अपनी देख–रेख में आंशिक शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी विषय अध्यापक की होगी। पी0जी0 पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उक्त हेतु कोई भत्ता, मानदेय या अनुभव प्रमाण–पत्र नहीं देया होगा। इस कार्य को उनकी पाठ्यचर्या का अंग माना जायेगा।

3– उपरोक्त सभी गतिविधियों का रिकार्ड भी रखा जाए और समय–समय पर उनकी सम्यक् समीक्षा भी की जाए ताकि विश्वविद्यालय में अपने अध्ययनकाल में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय उनके ज्ञान–विस्तार के सर्वोत्तम अवसर प्रदान कर सके।

Sushukla

(एस0के0 शुक्ल)
कुलपति।